

जन सूचना

सभी रेलवे भर्ती बोर्ड द्वारा आगामी परीक्षाओं में आवेदन प्रस्तुत करने वाले उम्मीदवारों की पहचान का सत्यापन 'आधार' कार्ड के माध्यम से ककए जाना प्रस्ताववर्त है।

रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं को वनष्पक्ष तरीके से आयोवजर्त करने तथा प्रवर्तरूपण के प्रयासों को रोकने के वलए उम्मीदवारों की सही पहचान हो यह महत्वपूणड है। पहचान का यह तरीका उम्मीदवारों के वलए भी सुववधाजनक एवं परेशानी मुक्त होगा।

आधार अवधवनयम के प्रावधान तथा वनयम कदनांक 14 वसर्तबर 2016 से लागू हैं तथा इससे संबंवधर्त अवधसूचना सरकारी राजपत्र में प्रकावशर्त की जा चुकी है। आधार अवधवनयम 2016 की धारा 57 के अनुसार ककसी व्यवक्त की पहचान सुवनवर्त करने के वलए आधार नंबर का उपयोग ककया जा सकर्ता है।

र्तदनुसार, ऐसे उम्मीदवार जो रेलवे में नौकरी पाने हेर्तु इच्छुक हैं से अनुरोध है कक वे आधार कार्ड बनवा लें तथा ऑनलाइन आवेदन प्रस्तुत करर्ते समय अपना 12 अंकों का आधार नंबर दें। ऐसे उम्मीदवार वजन्होंने आधार कार्ड हेर्तु पंजीकरण करवा वलया है परंतु आधार कार्ड प्राप्त नहीं हुआ है, वे 28 अंकों का आधार पंजीकरण नंबर आवेदन करर्ते समय दे सकर्ते हैं। उम्मीदवार की पहचान सुवनवर्त करने के वलए परीक्षा केंद्र पर बायोमेट्रिक उपवस्थवर्त प्रणाली के द्वारा उम्मीदवारों के अंगुली के वनशान को आधार सवडर में उपलब्ध उनकी अंगुली के वनशान से वमलान हेर्तु आधार नंबर का उपयोग ककया जाएगा।

इच्छुक उम्मीदवार जो रेलवे भर्ती बोर्ड की परीक्षाओं में आवेदन करना चाहर्ते हैं उनसे अनुरोध है कक वे आधार पंजीकरण केंद्रों से यथाशीघ्र संपकड कर अपना पंजीकरण करवा लें।

उपरोक्त प्रावधान जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम को छोडकर अन्य सभी राज्यों एवं केंद्र शावसर्त प्रदेश में लागू हैं। जम्मू एवं कश्मीर, मेघालय तथा आसाम राज्यों के उम्मीदवारों को ऑन-लाइन आवेदन फॉमड में अपना मर्तदार्ता पहचान पत्र नंबर, वैध पासपोर्ट नंबर, ड्राइववग लाइसेंस नंबर अथवा अन्य वैध सरकारी पहचान पत्र नंबर भरना होगा।

अध्यक्ष
रेलवे भर्ती बोर्ड
बिलासपुर